तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल0आर0/2003/4541/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम गदूली**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड़, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित

——

–आदेश–

दिनांकः– 22.04.2026

1. यह रेफरेंस अपर कलक्टर, अजमेर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रार्थना पत्र संख्या 75/2002 अपने निर्णय दिनांक 27.08.2003 द्वारा अभिशंषा में राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार केकड़ी, अजमेर ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी के खसरा नम्बर 1274 रकबा 257–7–10 बीघा सम्वत् 1358 सन् 1950–51 की भूप्रबन्ध जमाबन्दी में राजकीय खाते में नदी दर्ज थी एवं भुमि एकीकरण विभाग ने सम्वत् 2022 में भूमि एकीकरण का रिकॉर्ड तैयार करते समय गोगा पुत्र गंगाराम निवासी बघेरा के नाम दर्ज कर दी गयी तथा गोगा की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान जो कि अप्रार्थीगण है न सम्वत् 2042 की जमाबंदी में अपने नाम इंद्राज भी करवा लिया, जिसके हाल खसरा नम्बर 4102 रकबा 0.10 हैक्टैयर है भूमि की किस्म आ.3 बतायी गयी है। आराजी खसरा नम्बर 1274 किस्म नदी की भूमि का इन्द्राज गैर कानूनी रूप से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी गैर मु. नदी के रुप में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, तलाई, नदी, नाला, नाले, जलाशयों की भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार 15–08–1947 की स्थिति को यथावत रखा जाना है। अतः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल0आर0/2003/4541/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम गदूली**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित भूमि को गैर मु0 नदी दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। 3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए। जिनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थी पक्ष की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 27.08.2003 के द्वारा यह रेफरेंस राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है। 4. इस न्यायालय में रेफरेंस प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी पक्ष को नोटिस दिये गये, जो बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। बहस प्रार्थी पक्ष की सुनी गयी। 5. योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदिया, नली, नाले, नाला, नाली, झीले और तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन/नियमन किया जाना नियम विरूद्ध है। उक्त कार्यवाही डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-08-2004 के परिप्रेक्ष्य में अविधिक है, अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर विवादित नामान्तरकरणों को निरस्त किया जावें तथा विवादित भूमि को पुनः गैर मु0 नाला अभिलिखित किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें। 6. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। 7. प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी के खसरा नम्बर 1274 रकबा 257-7-10 बीघा सम्वत् 1358 सन् 1950-51 की भूप्रबन्ध जमाबन्दी में राजकीय खाते में नदी दर्ज थी एवं भुमि एकीकरण विभाग ने सम्वत् 2022 में भूमि एकीकरण का रिकॉर्ड तैयार करते समय गोगा पुत्र गंगाराम निवासी बघेरा के नाम दर्ज कर दी गयी तथा गोगा की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान जो कि अप्रार्थीगण है न सम्वत् 2042 की जमाबंदी में अपने नाम इंद्राज भी करवा लिया, जिसके हाल खसरा नम्बर 4102 रकबा 0.10 हैक्टेयर है भूमि की किस्म आ.3 बतायी गयी है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1274 रकबा 257-7-10 बीघा सम्वत्	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल0आर0/2003/4541/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम गदूली**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1358 सन् 1950–51 की भूप्रबन्ध जमाबन्दी में राजकीय खाते में नदी दर्ज थी। अर्थात आधार तिथी 15–08–1947 को उक्त भूमि की किस्म गैर मु0 नदी होना स्पष्ट है तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि है। इस संदर्भ में भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के प्रावधानों को तथा भू–राजस्व अधिनियम(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के उपबंधों को पढ़ा जाना आवश्यक समझते है। भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 *''समस्त सड़कें आदि और समस्त भूमियों, जो दूसरे की सम्पत्ति नहीं है, राज्य की है– समस्त सार्वजनिक सड़कें, गलियों, पथ, पुल और खाईयाँ, उन पर या उनके पास बनाई गई आडबाड़, समस्त नदियों, श्रोते, नाले, झीलें और तालाब, समस्त नहरें और जल मार्ग, सब स्थिर और बहता जल, समस्त भूमियाँ, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, जो सम्पत्ति किसी व्यक्ति की या सम्पत्ति के धारण करने के लिए वैध रूप से समर्थ व्यक्तियों के निकायों की सम्पत्ति नहीं है, जहाँ तक कि ऐसे व्यक्तियों या निकायों के उनमें या उन पर कोई अधिकार सिद्ध कर दिये जायें तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्यथा उपबन्धित कर दिया जाये, राज्य की सम्पत्ति है और उनमें तथा उन पर या उनसे अनुलग्न सभी अधिकारों सहित एतद्वारा राज्य की सम्पत्ति घोषित की जाती है''* राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है।

चूँकि राजस्व अभिलेख से विवादित भूमि का गै0मु0 नदी होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गैर मुमकिन नदी'' किस्म की भूमि में राजस्व विधियों के अन्तर्गत किसी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार हैः–

> **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-
>
> Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;"

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार हैः–

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**
> Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
>
> Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल0आर0/2003/4541/अजमेर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम गदूली**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संदर्भित विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रतिबंधित श्रेणियों की भूमियों के खातेदारी अधिकारी किसी भी व्यक्ति को प्रदत्त किये जाने की विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी नाला, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः अप्रार्थी की खातेदारी में विवादित आराजी विधि विरुद्ध दर्ज की गयी है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड़ अनुसार विवादित आराजी वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। पूर्व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 1358 अनुसार विवादित भूमि की किस्म भूमि गैर मुमकिन नदी दर्ज है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि का अप्रार्थी के खाते में किया गया इंद्राज प्रारंभ से ही विधिविरूद्ध होने से प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है। 8. फलस्वरूप, यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी के खसरा नम्बर 1274 रकबा 257-7-10 बीघा सम्वत् 1358 सन् 1950-51 की भूप्रबन्ध जमाबन्दी में राजकीय खाते में नदी दर्ज थी एवं भुमि एकीकरण विभाग ने सम्वत् 2022 में भूमि एकीकरण का रिकॉर्ड तैयार करते समय गोगा पुत्र गंगाराम निवासी बघेरा के नाम दर्ज कर दी गयी तथा गोगा की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान जो कि अप्रार्थीगण है न सम्वत् 2042 की जमाबंदी में अपने नाम इंद्राज भी करवा लिया, जिसके हाल खसरा नम्बर 4102 रकबा 0.10 हैक्टेयर है भूमि की किस्म आ.3 बतायी गयी है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1274 रकबा 257-7-10 बीघा सम्वत् 1358 सन् 1950-51 की भूप्रबन्ध जमाबन्दी में राजकीय खाते में नदी दर्ज थी, गैर मुमकिन नदी बाबत् राजस्व अभिलेख में अंकित किये गये समस्त इन्द्राज बहक अप्रार्थीगण निरस्त किये जाकर विवादग्रस्त आराजी को पुनः राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नदी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। 9. आदेश की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय सुनाया गया। **(कमला अलारिया)** **सदस्य**	